

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)-प्रथम, अयोध्या

मूलवाद संख्या-969/2019

भरतलाल वर्मा बनाम अतुल वर्मा

दिनांक-02.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी अनुपस्थित। न्यायालय द्वारा कई बार पुकार कराए जाने के बाद भी वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी विगत गई तिथियों से न्यायालय उपस्थित नहीं आ रहा है। न्यायहित में वादी को उपस्थिति हेतु पूर्व में अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है, परंतु आज भी न तो वादी न्यायालय उपस्थित आया और न ही उसकी तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त परिस्थिति के आलोक में प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत मूलवाद संख्या-696/2019, भरतलाल वर्मा बनाम अतुल वर्मा वादी की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज (जू०डि०)-प्रथम
अयोध्या